FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हरिराम बनाम ग्यारसा वगै०

किस्म मुकदमा:– दावा

मुकदमा नम्बर:– 47/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
13.07.2020	वादी की ओर से वकील श्री दीपक बाजिया एड. ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 21.07.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21-7-20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामील होकर नहीं लौटे हैं। बइन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 06-08-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
06.08.2020	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री राजकुमार सैनी एडवोकेट उपस्थित आये। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 23.07.20 को वादी वकील श्री दीपक बाजिया एड. ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण को विड्रा किये जाने पत्रावली से वकालतनामा का पेश किया था एवं [illegible] ही वादी की ओर से श्री [illegible] वकालतनामा भी पेश किया था। [illegible] आज रिकार्ड पर लिया जाता है तथा [illegible] जिया को प्रकरण से वकालतनामा विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। प्रकरण में श्री राजकुमार सैनी एड. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण को विड्रा करने का पेश कर उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण को विड्रा किये जाने का निवेदन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.01 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

हरीराम बनाम ग्यारसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा मु० नं० - 47/2020
	अतः वकील वादी के निवेदन पर वादपत्र को इसी स्तर पर विड्रा कर खारीज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.02.01 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.08.20 14:39:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: